

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 7612 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13, मई, 2024 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

**विषय:-** जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/०6/०9/2021/एफ०सी०/1084 दिनांक 21-11-2023 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 664/27सी दिनांक 25.04.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत बिन्दुवार निराकरण कर आख्या प्रेषित की गयी है :-

क्र. सं०	माँगी गई सूचना	उत्तर
1	इस कार्यालय के पत्र दि० 22.03.2021 का जबाब तय सीमा में नहीं दिया गया। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि गाईड लाईन के पैरा 1.20 के अनुसार प्रस्ताव के Nature and scope पर आवश्यक Comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग ग्राम रैतोली से प्रारम्भ होता है। मोटर मार्ग मायल गॉव के अन्तिम छोर में 5.00 किमी० लम्बाई में समाप्त होता है। मोटर मार्ग में ग्राम रैतोली, गुरना एवं मायल की 600 की आबादी लाभान्वित होगी। वर्तमान में ग्रामवासी लगभग 1.00 किमी० चढ़ाई के पश्चात् मोटर मार्ग तक पहुँचते हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र की जनता तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय बेरीनाग से जुड़ जायेगी। ग्रामीणों को स्कूल, बैंक, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। स्थानीय उत्पाद हेतु बाजार उपलब्ध हो पायेगा। उक्त मार्ग निर्माण से भविष्य में बेरीनाग तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय से जिला पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 20 से 22 किमी० कम हो जायेगी। अतः मार्ग निर्माण जनहित में मार्ग है।
2	यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किया गया है किन्तु आदेश में उल्लिखित भू-भाग के Status 9 (3) ड से ये दर्शित होता है कि मार्ग निर्माण से पूर्व FCA 1980 के अन्तर्गत मंजूरी ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गयी अतः ये FCA 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी से 3A & 3B में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करने का कष्ट करें।	बिन्दु सं० 02 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत आख्या उपलब्ध करायी गयी है- "उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग -3, देहरादून के पत्र सं० 866/ X-3 -2011/8 (21)/2010 दि० 28-09-2011 द्वारा अधिसूचना जारी गई थी कि राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा -28 के अधीन जारी अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दि० 17-10-1893 को विखण्डित कर दिया गया है (प्रति संलग्न, संलग्नक -1) इसी क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग -3, देहरादून के पत्रांक 883(1)/ X-3 -2011 दि० 04 अक्टूबर 2011 के क्लोज -4 के उपक्लाज 1 एवं -2 में यह स्पष्ट किया गया है कि - क्लाज -4 (1) अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दि० 17-10-1893 जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल सब-डिवीजन के गाँवों की ऐसी बेनाप वन तथा बंजर भूमि जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं थी, को रक्षित वन घोषित किया गया था, को अधिसूचना सं० 866/ X-3 -2011/8 (21)/2010 दि० 28-09-2011 द्वारा विखण्डित किये जाने के उपरान्त अब

		<p>प्रभावी नहीं है। क्लाज -4 (2) अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दि० 17-10-1893 के विखण्डित होने पर उक्त से आच्छादित भूमि अब 'रक्षित वन' नहीं है और 'रक्षित वन' से सम्बन्धित भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधान भूमि पर लागू न होंगे (प्रति संलग्न, संलग्नक -2)</p> <p>उक्तानुसार तत्समय प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अपने आदेश सं० 395 /7-8/2017 -18 दि० 29-11-2017 द्वारा इस विभाग को बंजर काबिल आबाद श्रेणी 9(3)ड की 0.92 है० भूमि का हस्तान्तरण, प्रश्नगत मोटर मार्ग के प्रारम्भ में कुछ भाग के निर्माण हेतु किया गया था (आदेश की प्रति संलग्न, संलग्नक -3)</p> <p>भूमि के हस्तान्तरण से पूर्व वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें उक्त भूमि से गुजरने वाले संरेखण का वृक्ष विहीन होने की रिपोर्ट प्रदत्त है (प्रमाण पत्र तथा रिपोर्ट की प्रति संलग्न, संलग्नक -4)</p> <p>उक्तानुसार वृहद जनहित में तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु राज्य सरकार की वृक्ष विहीन भूमि, श्रेणी 9 (3) ड बंजर काबिल आबाद को इस विभाग को हस्तान्तरित किया गया था। अतः जो भी कार्य तत्समय सम्पादित किया गया है। वह विधिवत् तथा नियमानुसार है।</p>
3	<p>ग्राम मायल पूर्व में ही दूसरी ओर से पुल से जुड़ा हुआ है। अतः मायल तक मार्ग को ले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में औचित्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मायल अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तराखण्ड सरकार की सड़क नीति के अनुसार ऐसे ग्राम जो मोटर मार्ग से 100 मी० की उर्ध्वाधर दूरी पर हों, ही जुड़े हुये माने जायेंगे (प्रति संलग्न, संलग्नक -5) ग्राम मायल वर्तमान में निर्मित मोटर मार्ग से 200 मी० से अधिक उर्ध्वाधर दूरी पर है तथा रामगंगा नदी पर जो सेतु दिखाई दे रहा है वह पैदल सेतु है। इसलिए ग्राम मायल को जोड़ा जाना औचित्यपूर्ण है।</p>
4	<p>Existing मार्ग को ग्राम गुरना तक बढ़ा कर मानचित्र के बिन्दु सं० 9 तक ही सीमित कर regularization के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग को ग्राम गुरना तक ले जाना हिल रोड मैनुअल IRC:48, IRC:52, IRC:SP-20, की ज्योमैट्रिक तथा तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है (प्रति संलग्न, संलग्नक -6) मार्ग को बिन्दु सं० 9 तक सीमित करने में मार्ग का Grade अधिक हो जायेगा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत तथा Codal provision के अनुसार यह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए मार्ग की लम्बाई को ग्राम गुरना तक बढ़ाया गया है।</p>

संलग्न:- यथोक्त।

अतः प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,



(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।